



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
141- अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

संख्या : 1238-पै०एवंआर०-28/पाकालि/23-07-पै०एवंआर०/2020, दिनांक : 21 जुलाई, 2023

कार्यालय-ज्ञाप

एतद्वारा वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या : 33/2016-सा-3-784/दस-2016/308/97, दिनांक 27 अक्टूबर, 2016 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाहोपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य किये जाने हेतु तत्सम्बन्धी व्यवस्था/प्राविधान निर्गत किये गये हैं, को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों की सेवाओं में यथावत्/सम्पूर्णता में अंगीकृत किया जाता है।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1238-पै०एवंआर०-28/पाकालि/23 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वान्चल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/केस्को-कानपुर।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/स्तर-11), उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
7. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), शक्ति भवन, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
9. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०पावर कारपोरेशन लि०।
11. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को 16 जून, 2023 को सम्पन्न 192वीं बैठक के मद संख्या-192(23) के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

आज्ञा से,

शमशाद अहमद
21/7/23

(शमशाद अहमद)

अपर सचिव (तृतीय)

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 27 अक्टूबर 2016

विषय :- सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की विकलांग संतानों को पारिवारिक पेंशन।

महोदय,

शासनादेश संख्या-1155/दस-2-81 दिनांक 06 अगस्त, 1981 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81 (टी0एफ0) दिनांक 12 नवम्बर, 1997 द्वारा राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों के मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम अविवाहित पुत्र/पुत्री को अजीवन पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विकलांग पुत्री के विवाहोपरान्त उसकी पारिवारिक पेंशन बन्द कर दी जायेगी।

2- पेंशन और पेंशनभोगी कार्याण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय जाप संख्या-1/33/2012-पी0एण्ड पी0डब्लू0(ई0) दिनांक 16.01.2016 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि विकलांग संतान को विवाहोपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

3- इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों की मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतान, जो जीविकोपार्जन में समर्थ नहीं है, को विवाह के उपरान्त भी पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी।

4- यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा इससे वह प्रकरण भी आच्छादित होंगे जिनमें मानसिक/शारीरिक रूप से अक्षम संतानों को विवाहोपरान्त पारिवारिक पेंशन बन्द की जा चुकी है परन्तु इन आदेशों के तहत पारिवारिक पेंशन का भुगतान तत्काल प्रभाव से अनुमन्य होगा। शासनादेश संख्या-1155/दस-2-81 दिनांक 06 अगस्त, 1981 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-1513/दस-97-2/81

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(टी0सी0) दिनांक 12 नवम्बर, 1997 इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे। उपर्युक्त शासनादेशों की शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-33/2016-सा-3-784(1)/दस-2016/308/97 तद्विनांक

प्रलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0 इलाहाबाद।
- 2- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से
नील रतन कुमार
विशेष सचिव ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।